20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

अपील– 5734/2018/जबलपुर/भू.रा.

द्वितीय अपील क्र0– /2018

अपीलार्थीगण : 1–रघुनाथ प्रसाद, आयु लगभग 58 वर्ष, आत्मज स्व0वृन्दावन,

2–सीताराम आयु लगभग 56 वर्ष, आत्मज स्व0वृन्दावन

दोनों निवासी–ग्राम चौकीताल,पो. चौकीताल, तहसील व जिला–जबलपुर (म.प्र.)

श्री एम. के. कुलश्रेष्ठ अभि० 20-9-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 28-9-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

उत्तरार्थी/अनावेदक : म.प्र. शासन

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा–44(2) म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

अपीलार्थीगण अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर द्वारा अपील क्रमांक 1085/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 28/08/2018 से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर माननीय राजस्व मंडल के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर रहे है, उक्त आदेश इस प्रकरण में आगे आलोच्य आदेश कहकर संबोधित किया जायेगा। जिसकी प्रमाणित प्रति **प्रदर्श पी/1** के रुप में संलग्न है।

प्रस्तुत एम.के. कुलश्रेष्ठ (एड.) 9977214076

कार्यालय मा. राजस्व ... 21-7012 Index 20/9/18 12:00 pm

19 SEP 2018

अपील के तथ्य

1. यह कि, अपीलार्थीगण स्व0वृन्दावन पिता स्व0तारापत, निवासी– ग्राम–चौकीताल, पो. चौकीताल, तहसील व जिला जबलपुर के वैधानिक वारसान हैं। वृन्दावन की मृत्यु हो चुकी हैं। उनके द्वारा अपने जीवनकाल में ग्राम– चौकीताल, स्थित निजी स्वत्व, हित, अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नं. 45(पैतालिस),118 (एक सौ अठारह),

NOTARY RAMDAS SHARMA M.P.19/2014/21 -B(2)2013 JABALPUR (M.P.)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक : अपील–जबलपुर/भू.रा./2018/5734

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर
3/1/19	उभय पक्ष को पूर्व पेशी पर बहस में सुना जा चुका है। यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 1085/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–8–2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को, लेखी बहस के तथ्यों एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि माननीय उच्च न्यायालय व्दारा याचिका क्रमांक 6914/2000 में पारित आदेश दिनांक 27–2–2006 में दिये गये दिशा निर्देशों के प्रकाश में सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा अधि. जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 184 बी–121/2016–17 में पारित आदेश दिनॉक 9–3–18 से आवेदक के स्वामित्व की नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अतिशेष घोषित की गई भूमि) के सम्बन्ध में आदेश पारित किया है। सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा अधि. जबलपुर का प्रकरण क्रमांक 184 बी–121/ 2016–17 में पारित आदेश दिनॉक 9–3–18 नगर भूमि सीमा अधि. के अंतर्गत है इस आदेश की अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष हुई है एंव अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण क्रमांक 1085/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–8–2018 से अपील खारिज की है। विचार योग्य है कि सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा अधि. व्दारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश एंव उसके विरूद्व इसी अधिनियम के अंतर्गत अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल में अपील	

पोषणीय है ? नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 33 (1) एंव (3) इस प्रकार है :–

धारा – 33 अपील –

(1) इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी व्दारा किये गये आदेश से , जो धारा 11 के अधीन या धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन किया गया है व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश से तीस दिन के भीतर जिसको आदेश उसे संसूचित किया जाता है, ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो विहित किया जाय। (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी कहा गया है) :

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यथासंभव शीघ्रता से उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे।

(3) इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी व्दारा पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा।

उपधारा 2 में बताया गया है कि अपील प्राप्त होने के पश्चात् अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देकर उसका यथासंभव शीघ्रता से उस पर आदेश करना होता है जो वह ठीक समझे व उपधारा 3 में बताया गया है कि इस धारा के अंतर्गत अपील प्राधिकारी व्दारा पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा अर्थात उसके विरूद्व कोई अपील / रिवीजन नहीं लगेगी।

उक्त के प्रकाश में अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश दिनांक 28–8–18 के विरूद्व प्रस्तुत द्वित्तीय अपील प्रचलन–योग्य न होने से अमान्य की जाती है।

सदस्य